



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44336-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3904 वर्ष 2026

मनोज सिंह तथा 3 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: मोहम्मद यासीन, ज़हीर असगर

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रारंभ में ही, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण हो चुका है तथा याचिकाकर्तागण के विरुद्ध पुलिस प्रतिवेदन भी प्रेषित किया जा चुका है।
3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, तथापि उन्होंने निवेदन किया कि वे इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तथा उपयुक्त चरण पर उपयुक्त मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।
4. उपर्युक्त कथन के दृष्टिगत, यह रिट याचिका उक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानते हुए निरस्त की जाती है।

दिनांक : 26 फरवरी 2026

नदीम

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।